न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

ीठासीन अधिकारी का नाम	:	संजय कुमार गोरा, (आर.ए.एस.)
्रकरण संख्या	:	11/2022
ायर दिनांक	:	31.01.2022
ीर्णय दिनांक	:	05.01.2024

1. ओमप्रकाश राजोरिया पुत्र जौहरीलाल राजोरिया जाति खटीक, निवासी खटीकान मौहल्ला दौसा जिला दौसा

वादी

बनाम

1. गेन्दी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति मीना, निवासी ग्राम रामजीपुरा तहसील लवाण जिला दौसा
2. गीता देवी पत्नी कुंजबिहारी शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
3. शोभा देवी पत्नी रामअवतार दास जाति स्वामी केयर ऑफ प्रभूदास स्वामी, बाबाजी की छावनी दौसा जिला दौसा
4. सुरजन दास चेला महादेवदास जाति दादूपंथी, निवासी बाबाजी की छावनी दौसा जिला दौसा
5. सीता देवी पत्नी कृष्णमोहन जाति मीना, निवासी ग्राम रामजीपुरा तहसील लवाण जिला दौसा
6. सीता देवी पत्नी कृष्णमोहन जाति मीना स्वामी, निवासी बाबाजी की छावनी दौसा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
8. उप पंजीयक, दौसा
9. प्रियंका पत्नी हिमांशु शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी चौधरी कॉलोनी दौसा तहसील व जिला दौसा

प्रतिवादीगण

वाद तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता : श्री शिवेन्द्र कुमार शर्मा (अधिवक्ता वादी)
श्री राजकुमार तिवाडी (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5)
श्री रामस्वरूप बैरवा (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2)
श्री त्रिलोक कुमार शर्मा (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9)

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा एक वाद तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वाके ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खाता नम्बर 622 नया व पुराना 692 की खसरा नम्बर 2515 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 2516 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 2518 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 2519 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 2520 रकबा 1.23 है., खसरा नम्बर 2538 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 2539 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 2541 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 2542 रकबा 0.69 है. कुल किता 9 कुल रकबा 3.50 है. स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। उक्त विवादित आराजीयात का अभी तक वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

तिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के मध्य विधिवत् रूप से तकास्मा नहीं हुआ है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को अनेको बार आराजी का विधिवत् रूप से तकास्मा करने को कहा किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 टालमटोल करते रहे एवं अब उक्त आराजी को बिना तकास्मा हुए दीगर व्यक्तियों को रहन बय हस्तानान्तरण करने को व निर्माण कार्य करने को तैयार हो रहे हैं तथा दिनांक 12.09.2020 को वादी को चेतावनी दी है कि वे वादी को अब भूमि में फसल काश्त नहीं करने देंगे व बिना विधिवत् बंटवारा हुए दीगर व्यक्तियों को रहन बय हस्तान्तरण कर वादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करेंगे। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न अनुतोष प्रदान कर अनुगृहीत करें :–

1. यह कि डिक्री तकास्मा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 पारित फरमाते हुए वादग्रस्त आराजी खाता नम्बर 622 नया व पुराना 692 की खसरा नम्बर 2515 रकबा 0.32 है०, खसरा नम्बर 2516 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 2518 रकबा 0. 10 है०, खसरा नम्बर 2519 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 2520 रकबा 1.23 है०, खसरा नम्बर 2538 रकबा 0.23 है०, खसरा नम्बर 2539 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 2541 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 2542 रकबा 0.69 है० कुल किता 9 कुल रकबा 3.50 है० वाके दौसा कलां तहसील दौसा जिला दौसा का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के मध्य मौके पर वाहमी रूप से काबिज अनुसार बाई मीट्स एण्ड़ बाउण्ड्स व सरस नरस रास्ते के अनुसार विभाजन फरमाकर वादी के हिस्से की खातेदारी अलग की जाकर पृथक् पृथक् खाता व पृथक् पृथक् लगान कायम फरमाकर पृथक् पास बुक व पर्चा लगान कायम फरमाने की कृपा करें।
2. यह कि डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को पाबन्द फरमावे कि वे स्वयं अथवा अपने परिवारजनों, ऐजेन्टों, नौकरों, सहयोगियों, साथियों, कारीगरों, मजदूरों, ठेकेदारों आदि के द्वारा उक्त वर्णित खाता नम्बर 622 नया व पुराना 692 की खसरा नम्बर 2515 रकबा 0.32 है०, खसरा नम्बर 2516 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 2518 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 2519 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 2520 रकबा 1.23 है०, खसरा नम्बर 2538 रकबा 0. 23 है०, खसरा नम्बर 2539 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 2541 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 2542 रकबा 0.69 है० कुल किता 9 कुल रकबा 3.50 है० वाके दौसा कलां तहसील दौसा जिला दौसा के किसी भी भू–भाग को दीगर व्यक्तियों को रहन बय हस्तान्तरण करने से, उक्त भूमि के किसी भी भू–भाग में किसी भी प्रकार का पुख्ता निर्माण कार्य करने से व वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का व वादी को जबरन बलपूर्वक निष्काषित करने से अथवा हर प्रकार से स्थायी रूप से सदैव के लिए प्रतिबन्धित रहे तथा प्रतिवादी संख्या 8 को पाबन्द फरमावे कि वे उक्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत होने वाले रहन बय हस्तान्तरण प्रलेख का पंजीयन नहीं करें व प्रतिवादी संख्या 7 रिकॉर्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार तिवाडी ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामस्वरूप बैरवा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता श्री त्रिलोक कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3, 7, 8 को जारी किये गये रजिस्टर्ड नोटिसों को 1 माह से अधिक का समय हो जाने के कारण इनकी तामील मानी गयी एवं बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 9 ने संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित फरमाये जाने में अपनी सहमति दी। प्रतिवादी संख्या 2 ने

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

(10)

वाब प्रस्तुत कर कथन किया कि यदि मौके पर बाहमी तकास्मा अनुसार तथा मिन तेवादी के कब्जे व हिस्से की भूमि पर कब्जे अनुसार तकास्मा किया जाता है तो तकास्मा ज्ये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही मिन प्रतिवादी जो कि भूमि का सहखातेदार है विरुद्ध किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित हीं अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.12.2022 को जारी ो गई तथा तहसीलदार दौसा को आदेशित किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 2515 कबा 0.32 है०, खसरा नम्बर 2516 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 2518 रकबा 0.10 है०, ख़सरा नम्बर 2519 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 2520 रकबा 1.23 है०, खसरा नम्बर 2538 कबा 0.23 है०, खसरा नम्बर 2539 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 2541 रकबा 0.04 है०, ख़सरा नम्बर 2542 रकबा 0.69 है० कुल किता 9 कुल रकबा 3.50 है० वाके ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा का उभयपक्षों के मध्य बाई मीट्स एवं बाउण्ड्स के अनुसार विभाजन स्ताव तीन-तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। तहसीलदार दौसा ने अपने पत्रांक भू.अ. /2023/3324 दिनांक 16.10.2023 द्वारा कुर्रेजात न्यायालय के समक्ष पेश किये।

कुर्रेजात पर उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान उभय पक्षों द्वारा कुर्रेजात में दर्शाये गये तकास्मे में अपनी सहमति व्यक्त की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त आराजी का तकास्मा किये जाने एवं वादग्रस्त आराजी के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2515 रकबा 0.32 है०, खसरा नम्बर 2516 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 2518 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 2519 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 2520 रकबा 1.23 है०, खसरा नम्बर 2538 रकबा 0. 23 है०, खसरा नम्बर 2539 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 2541 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 2542 रकबा 0.69 है० कुल किता 9 कुल रकबा 3.50 है० वाके ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा की खातेदारी ओमप्रकाश राजोरिया पुत्र जौहरीलाला राजोरिया जाति खटीक हिस्सा 1/6, गेन्दी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति मीना हिस्सा 1/9, गीता देवी पत्नी कुंजबिहारी शर्मा जाति हरि० ब्राह्मण हिस्सा 1/14, शोभा देवी पत्नी रामअवतारदास जाति स्वामी हिस्सा 2/21, सुरजनदास चेला महादेवदास जाति स्वामी हिस्सा 1/7, सीता देवी पत्नी कृष्णमोहन जाति मीना हिस्सा 1/9, सीता देवी पत्नी श्रीकृष्णमोहन जाति स्वामी हिस्सा 19/63 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चूँकि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उभय पक्षों ने तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात में दर्शाये गये तकास्मे में अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 2515 रकबा 0.32 है०, खसरा नम्बर 2516 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 2518 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 2519 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 2520 रकबा 1.23 है०, खसरा नम्बर 2538 रकबा 0.23 है०, खसरा नम्बर 2539 रकबा 0. 11 है०, खसरा नम्बर 2541 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 2542 रकबा 0.69 है० कुल किता 9 कुल रकबा 3.50 है० का तकास्मा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य निम्नानुसार किया जाकर उभय पक्षों को एक-दूसरे के क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	नक्शे की स्थिति
1.	ओमप्रकाश राजोरिया पुत्र जौहरीलाल राज़ोरिया हि० पूर्ण जाति खटीक सा०देह	2520/3 2538/1 2539	0.3600 0.1000 0.1100	भूरे रंग से दर्शित क्षेत्र

ड अधिकारी
सा (राज०)

2.	सीतादेवी पत्नी कृष्णमोहन हि॰ 145/231 गेन्दीदेवी पत्नी जगदीश प्रसाद हि॰ 38/231 जाति मीना सा॰ रामजीपुरा सुरजनदास चेला महोदवदास हि॰ 48/231 जाति स्वामी सा॰ बाबाजी की छावनी सा॰ दौसा	2542/2 2519 2516 2518 2515 2541/2 2520/1	0.6700 0.3900 0.3900 0.1000 0.3200 0.0300 0.4100	हरे रंग से दर्शित क्षेत्र
3.	गीतादेवी पत्नी कुंजबिहारी शर्मा हि॰ पूर्ण जाति हरि॰ ब्राह्मण सा॰दौसा	2520/4 2538/2	0.1900 0.0500	नीले रंग से दर्शित क्षेत्र
4.	शोभादेवी पत्नी रामअवतारदास हि॰ पूर्ण जाति स्वामी सा॰देह खातेदार	2520/5 2538/3	0.2400 0.0800	पीले रंग से दर्शित क्षेत्र
5.	सीतादेवी पत्नी कृष्णमोहन हि॰ 26/63 गेन्दीदेवी पत्नी जगदीश प्रसाद हि॰ 1/9 जाति मीना सा॰ रामजीपुरा सुरजनदास चेला महोदवदास हि॰ 1/7 शोभादेवी पत्नी रामअवतारदास हि॰ 2/21 जाति स्वामी सा॰देह ओमप्रकाश राजोरिया पुत्र जोहरीलाल राजोरिया जाति खटीक हि॰ 1/6 सा॰देह गीतादेवी पत्नी कुंजबिहारी शर्मा हि॰ 1/14 जाति ब्राह्मण सा॰ दौसा खुर्द	2541/1 2520/2 2542/1	0.01 0.03 0.02	नारंगी रंग से दर्शित क्षेत्र

तद्नुसार पर्चा अन्तिम डिक्री जारी हो। डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा खिलवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

उपखण्ड अधिकारी * उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा